न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)
बईजलास श्रीमती शुभम चौधरी, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 39/2022

प्रार्थी : –

विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी :–

1. सरपंच ग्राम पंचायत नांदिया तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. श्री पोपट पुत्र श्री अचलाजी जाति तुरी भाट तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही के कायम मुकाम–

2.1 श्रीमती मणीबेन पत्नि स्व. श्री पोपटलाल जाति भाट निवासी नांदिया तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

2.2 श्री रमेश कुमार पुत्र स्व. श्री पोपटलाल जाति भाट निवासी नांदिया तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

2.3 श्री प्रवीण कुमार पुत्र स्व. श्री पोपटलाल जाति भाट निवासी नांदिया तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

2.4 श्री रमणलाल पुत्र स्व. श्री पोपटलाल जाति भाट निवासी नांदिया तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

2.5 श्रीमती गंगा पुत्री स्व. श्री पोपटलाल पत्नि श्री भरतकुण्डला जाति भाट निवासी कालन्द्री तहसील व जिला सिरोही।

2.6 श्रीमती अनीता पुत्री स्व. श्री पोपटलाल पत्नि श्री प्रतापराम जाति भाट निवासी मॉडानी तहसील शिवगंज जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थिति :–

1. श्री नटवरलाल जीनगर सहायक विकास अधिकारी सिरोही प्रार्थी की ओर से।
2. श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा अप्रार्थी संख्या एक की ओर से।

निर्णय

दिनांक 07.03.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत अप्रार्थी संख्या दो के हक में अप्रार्थी संख्या एक द्वारा जारी पट्टा संख्या 20649 दिनांक 29.01.2013 क्षेत्रफल 412.5 वर्गफीट को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या एक सरपंच ग्राम पंचायत वासा की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा द्वारा जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी गई एवं जवाब प्रस्तुत किया गया, और शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी संख्या दो के कायम मुकाम की ओर से इस न्यायालय द्वारा जारी नोटिस तामिली के बावजूद भी किसी भी प्रकार की कोई उपस्थिति नहीं दी गई एवं न ही जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में दोनों पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2024.05.28 16:20:31 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

प्रार्थी की ओर से श्री नटवरलाल जीनगर सहायक विकास अधिकारी सिरोही द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या एक ने अप्रार्थी संख्या दो के हक मे विधि विरूद्ध पारित पट्टा संख्या 20649 दिनांक 29.01.2013 क्षेत्रफल 412.5 वर्गफीट का नियम 158 राजस्थान पंचायत राज.नियम 1996 के तहत् जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या दो अति निर्धन होने एवं अन्य कोई भूखण्ड नही होने का कोई उल्लेख नहीं है। शिकायत प्रस्तुत होने पर जांच के आधार पर ही निगरानी प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना कर पट्टा जारी किया गया है, इस कारण पंचायत को आर्थिक क्षति हुई है। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो को पूर्व में पट्टा संख्या 000969 दिनांक 09.10.2001 को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2001 में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(ख) में पुराने गृहों का विनियमिततीकरण के अन्तर्गत जारी किया गया, जिससे अप्रार्थी संख्या दो नियम 158 के तहत पात्रता नहीं रखता है। यह है कि अप्रार्थी संख्या एक सरपंच ग्राम पंचायत वासा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को पूर्व में पट्टा जारी होने से व पूर्व में जारी पट्टे में ही निवासरत करने से भूमिहीन/आवासहीन नहीं होने के बावजूद अनुचित लाभ पहुंचाने की नियत से नियम विरूद्ध विक्रय विलेख जारी किया गया है, जो निरस्त किए जाने योग्य है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या एक के द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी पट्टा संख्या 20649 दिनांक 29.01.2013 क्षेत्रफल 412.5 वर्गफीट को निरस्त किया जाना फरमावें।

अप्रार्थी संख्या एक के लायक अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान इस निगरानी मे प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि पंचायत द्वारा प्रस्ताव लेकर अप्रार्थी संख्या दो को नियम 158 के तहत पट्टा जारी किया गया है जो नियमानुसार सही है। अप्रार्थी संख्या दो तुरी भाट जाति का सदस्य है जो उक्त भूखण्ड प्राप्त करने की पात्रता रखता था, जिससे उसे नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है। यह है कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व नियमानुसार कमेटी का गठन किया गया एवं कमेटी की राय एवं अप्रार्थी संख्या दो पट्टा प्राप्त करने का अधिकारी होने से उसे नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है एवं अप्रार्थी संख्या दो अत्यन्त ही गरीब तबके का व्यक्ति है। यह है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या दो की फौत हो जाने के पश्चात यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया है। अतः मृत व्यक्ति के विरूद्ध के यह प्रार्थना पत्र परिपोषणीय नहीं होने से काबिल खारिज है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र परिपोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाना फरमावें।

अप्रार्थी संख्या दो के कायम मुकाम की ओर से इस न्यायालय द्वारा जारी नोटिस तामिली के बावजूद भी किसी भी प्रकार की उपस्थिति नहीं दी एवं न ही जवाब प्रस्तुत किया गया। पूर्व में इनको जवाब प्रस्तुत करने हेतु कई अवसर प्रदान किए गए, परन्तु इनके द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने से इनका जवाब देने का अवसर बन्द किया गया एवं न ही अप्रार्थी संख्या दो के वारिसानों द्वारा बहस हेतु नियत तिथि पर उपस्थित दी गई। अतः प्रकरण में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या एक की विस्तृत बहस सुनी गई।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेज के साथ निगरानी प्रार्थना पत्र की पत्रावली का भलिभॉति अवलोकन किया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या दो को उक्त विवादित पट्टा संख्या 20649 दिनांक 29.01.2013 क्षेत्रफल 412.5 वर्गफीट ग्राम पंचायत नांदिया द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 158 के तहत जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 158 के अनुसार—

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2024.05.28 16:20:31 IST
Reason: SelfAttested

भूमियों का कमजोर वर्गों को आवंटन— (1) पंचायत, गांव आवंटितियों में 300 वर्गगज तक की आबादी भूमि अनुसूचित जातियों, स्वच्छकारों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के सदस्यों, गांव कारीगरों श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों,

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवारों, विकलांगों, यायावर जनजातियों, गाड़ियां लुहारों को जिनके पास स्वयं के गृह स्थल/गृह नहीं है, और ऐसे बाढ़ग्रस्तों को भी जिनके गृह बह गए है या गृह/गृहस्थल बाढ़ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गए है, रियायती दरों पर आवंटित कर सकेगी (और ऐसी भूमि का पट्टा 23–ग में जारी किया जा सकेगा)

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है कि राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 158 के तहत उन्हीं को पट्टा जारी किया जाता है, जिनके पास स्वयं का गृह स्थल/गृह नहीं है एवं अप्रार्थी संख्या दो का ग्राम पंचायत नांदिया में अन्य कोई आवासीय मकान उपलब्ध नहीं है, ऐसा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है एवं न ही इस सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या एक के अधिवक्ता एवं अप्रार्थी संख्या दो के कायम मुकाम द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है एवं न ही इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का कोई कथन किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि पूर्व में अप्रार्थी संख्या दो को ग्राम पंचायत नांदिया द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान 2001 में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(ख) के तहत पट्टा संख्या 000969 दिनांक 09.10.2001 को जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(ख) के अनुसार–

157.–पुराने गृहों का विनियमितिकरण– जहाँ व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते है और पट्टा जारी कराने के इच्छुक वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्ररूप 23 क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा–

1. 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिए या 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यधीन रहते हुए 25 प्रतिशत सनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए सनिर्मित क्षेत्रफलः

क. इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व, पचास वर्षों से अधिक पूर्व में = 100 रूपये संनिर्मित पुराने गृहों के लिए।

ख. (31 दिसम्बर 2016 के ठीक पूर्ववर्त्ती सत्तर वर्षों के दौरान) = 200 रूपये सनिर्मित पुराने गृहों के लिए।

चूंकि राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(ख) के तहत पुराने गृहों का पट्टा जारी किया जाता है एवं ग्राम पंचायत नांदिया द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान 2001 में अप्रार्थी संख्या दो को राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(ख) के तहत पट्टा संख्या 000969 दिनांक 09.10.2001 को जारी किया गया था, जिससे यह साबित होता है कि अप्रार्थी संख्या दो के पास पहले से ही स्वयं का मकान था। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 158 के तहत भूमिहीन/आवासहीन व्यक्तियों को ही पट्टा जारी किया जाता है, परन्तु अप्रार्थी संख्या दो के पास पहले से ही स्वयं का मकान था, जिसका पट्टा उन्होनें वर्ष 2001 में ग्राम पंचायत नांदिया से प्रशासन गांवों के संग अभियान 2001 में प्राप्त किया था। अतः इससे यह तथ्य पूर्णतया स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत नांदिया द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को उक्त विवादित पट्टा संख्या 20649 दिनांक 29.01.2013 जारी करने से पूर्व पात्रता की जांच नहीं की गई थी। अप्रार्थी संख्या एक के अधिवक्ता का कथन है कि ग्राम पंचायत नांदिया द्वारा नियमानुसार प्रस्ताव लेकर पट्टा जारी किया गया है। इस सम्बन्ध में पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि ग्राम पंचायत नांदिया द्वारा प्रस्ताव [illegible] गया है, परन्तु उनके द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व अप्रार्थी संख्या दो की पात्रता की जांच नहीं की गई थी एवं अप्रार्थी संख्या दो के पास स्वयं का गृह स्थल/गृह होने के बावजूद भी ग्राम पंचायत नांदिया द्वारा नियम 158 के तहत विधि विरूद्ध पट्टा जारी किया गया था। अप्रार्थी संख्या एक के अधिवक्ता द्वारा यह भी कथन किया गया है कि अप्रार्थी संख्या दो की मृत्यु हो

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2024.05.28 16:20:31 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

जाने के पश्चात प्रार्थी द्वारा उक्त निगरानी आवेदन मृत व्यक्ति के विरूद्ध प्रस्तुत किया है, इस सम्बन्ध में पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अप्रार्थी संख्या एक के अधिवक्ता द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अप्रार्थी संख्या दो की मृत्यु कब हुई थी एवं न ही इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथा मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है एवं न ही ऐसा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। अतः इससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि अप्रार्थी संख्या दो की फौत निगरानी आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व हुई है या बाद में। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इस न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या दो की फौत होने के पश्चात उनके कायम मुकाम को रेकर्ड पर लेकर उनको सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह न्यायालय ग्राम पंचायत नांदिया द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी उक्त विवादित पट्टे को न्याय संगत नहीं मानता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत नांदिया द्वारा अपार्थी संख्या दो के हक में जारी पट्टा संख्या 20649 दिनांक 29.01.2013 क्षेत्रफल 412.5 वर्गफीट को निरस्त किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(शुभम चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2024.05.28 16:20:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner